भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

महत्वपूर्ण सूचना

फा.सं. 3/6/2021-नी.एवं यो.-। (खंड I): संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 के इच्छुक अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने और ऑनलाइन आवेदन डेटा में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों को नोट करें : -

(क) फोटोग्राफ हेतु निर्देश:

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में अपलोड करना होगा। उक्त फोटोग्राफ परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी, चश्मे के बिना होनी चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

(ii) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के स्वीकार्य/अस्वीकार्य नमूने **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ख) आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो:

(i) आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

(iv) नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(v) आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- का एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- का एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे, चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

(vi) सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

(vii) एक बार भुगतान किए गए सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

(viii) संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो’ की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

हस्ता./-
अवर सचिव, भारत सरकार

फोटोग्राफ का नमूना

स्वीकार्य फोटोग्राफ

फोटोग्राफ के वे नमूने जो स्वीकार्य नहीं हैं

अत्यधिक रंगीन

अत्यधिक निकट

टोप/टोपी के साथ

धुंधले फोटोग्राफ

उल्टा

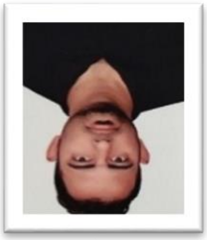

अत्यधिक गहरा

धूप के चश्में के साथ

एक तरफ चेहरा

अत्यधिक छोटा

चश्में के साथ